न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 12/2023

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेंट :–
1. पूंजाराम पुत्र जैपाराम 2. रूपाराम पुत्र जैपाराम 3. तेजाराम पुत्र जैपाराम, जातियात राजपुरोहित निवासीयान खेतेश्वर ब्रहमधाम, आसोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।		1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, जसोल

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.09.2021 जो प्रकरण सं. 260/2021 नायब तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 14.05.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार जसोल द्वारा प्रकरण सं. 260/2021 सरकार बनाम पूंजाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2021 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर में दिनांक 23.09.2021 एवं दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का आसोतरा द्वारा नायब तहसीलदार जसोल के समक्ष एक टी.पी रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खेतेश्वर ब्रह्मधाम के खसरा नम्बर 833/752 रकबा 0.02 वीघा किस्म गैर मुमकीन सड़क भूमि पर गैर सायल पूंजाराम पुत्र जैपाराम जाति राजपुरोहित द्वारा अनाधिकृत बाड़ व तारंबदी कर लिया है, जो अवैध है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार जसोल द्वारा

जिला कलक्टर

बालोतरा

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। नायब तहसीलदार जसोल द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट उपरांत गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 09.09.2021 के द्वारा 2.50/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 01.11.2023 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहीलदार जसोल द्वारा अपीलांटगण को खसरा संख्या 833/752 गैर मुमकिन सड़क की भूमि के 2 विस्वा रकबे पर बाड़ व तारबंदी बनाकर अनाधिकृत अतिक्मण करने के संबंध में धारा 91 प्रकरण संख्या 260/2021 दर्ज कर अतिक्मी घोषित किया जाकर जुर्माना से दण्डित किया गया। खसरा नंबर 833/752 पर अपीलांट का कभी भी अतिक्मण नहीं रहा। कूल खसरा संख्या 752 में से राजस्व गांव ब्रह्मधाम आसोतरा से आबादी गांव आसोतरा तक जाने वाली सड़क का निर्माण होने से खसरा संख्या 752 तीन भागों में विभक्त हो गया। एक भाग सड़क में दर्ज किया गया, तथा दो भाग सड़क के किनारे पर पूर्वी–दक्षिणी व उत्तरी–पश्चिम शेष रहे। रेकर्ड जमाबंदी में खसरा संख्या 832/752 दर्ज हो गया, जिसके खातेदार स्वयं अपीलांट है। नक्शा, लटठा ट्रेस में कई पर भी खसरा संख्या 832/752 का कोई अस्तित्व नहीं रहा। इस दरम्यान भूमि के उक्त खसरा के पड़ोसी द्वारा विवाद उत्पन्न किया गया तथा अतिक्मण का अपराध कारित किया। अपीलांट ने ऐसे अपराधियों जोगराजसिंह, वगताराम के विरूद्ध पुलिस थाना

जिला कलक्टर
बालोतरा

सीमाज्ञान करवाया गया। उसमें भी बिंदू संख्या 09 रोड़ के मध्य से 47 फीट दूरी पर होना व बिंदू संख्या 30 सड़क की दूरी से 76 फीट दूर होना बताया। हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.08.2021 को प्रकरण संस्थित कर दिया और न तो वादग्रस्त स्थल का भौतिक सत्यापन किया गया और न ही वादग्रस्त स्थल एवं अपीलकर्ता की खातेदारी भूमि की पैमाईश की गई। बिना पैमाईश किये ही मौखिक अभिकथनो पर विश्वास करते हुए अपीलकर्ता को अतिक्रमी घोषित कर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी खेत खसरा नंबर 832/752 के चारो और बाड़ तारबंदी कर रखी है तथा पक्के नेखम लगा रखे है। पूर्व में भी अपीलांट की खातेदारी खेत के सीमा विवाद होने से सर्वप्रथम दिनांक 06.04.2015 को सीमाज्ञान किया गया एवं उक्त सीमाज्ञान की फर्द में अपीलकर्ता अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज बताया गया। तत्पश्चात श्रीमान एस डी एम बालोतरा के निर्णयानुसार दिनांक 15.11.2016 को पटवार हल्का आसोतरा एवं पटवार हल्का असाडा द्वारा पक्के नेखम स्थापित करवाये गये। ऐसी स्थिति में यह प्रथम दृष्टया स्थापित है कि अपीलकर्ता द्वारा अपनी खातेदारी 832/752 के खसरों और पक्के नेखम स्थापित है तथा तारबंदी की गई है, तो अपीलांट का कब्जा खसरा नंबर 833/752 में होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नंबर 833/752 के संबंध में अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया गया है, जबकि खसरा नंबर 833/752 पर अपीलकर्ता का कोई कब्जा नहीं है। खसरा नंबर 832/752 पर अपीलांट काबिज है, जिसका अपीलांट रेकर्डेड खातेदार है व नेकमबंदी की गई और खसरा नबंर 833/752 गैर मुमकिन सड़क है। जब तक दोनो खसरों की पैमाईश नहीं होती है, तब तक अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करना कतई न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर ही नहीं दिया गया। यदि पटवारी हल्का से साक्ष्य में प्रति परीक्षण का अवसर दिया जाता तो यह अवश्य प्रमाणित हो जाता है कि पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त स्थल का भौतिक

जिला कलक्टर
बालोतरा

सत्यापन किये बिना ही प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में संस्थित करवा दिया गया। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अपीलकर्ता को साक्ष्य पेश करने का अवसर ही नहीं दिया गया। इतना ही नहीं पत्रावली पर उपलब्ध कौनसे दस्तावेज से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट का कब्जा खसरा संख्या 832/752 के स्थान पर खसरा संख्या 833/752 पर स्थापित है। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो मौका रिपोट तलब की गई और न ही भौतिक स्थिति पेश की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन फानन में पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हुए भी यह अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं होने से अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 09.09.2021 को पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

6. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अपीलांटगण अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसमें पाया कि अपीलांट ने इस अपील के द्वारा ग्राम बह्मधाम आसोतरा के खसरा नंबर 832/752 पर अपना कब्जा–अधिपत्य होना प्रकट किया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 833/752 गैर मुमकिन सड़क की भूमि के 2 विस्वा रकबे पर बाड़ व तारबंदी बनाकर अनाधिकृत अतिक्रमण करने हेतु अपीलांटगण को अतिक्रमी घोषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त आलोच्य अभिलेख में हल्का पटवारी के द्वारा न मौका रिपोर्ट तलब की गई है और न ही भौतिक स्थिति की रिपोर्ट पेश की गई, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि अपीलांट का कब्जा खसरा संख्या 832/752 पर है या 833/752 पर है। इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की कार्यवाही एक सरसरी जांच कार्यवाही है, जिसके द्वारा मौके कब्जे की विस्तृत जांच, अपीलांट को सुनवाई का अवसर एवं वास्तविक तथ्यों के बारे में संतुष्टि आवश्यक है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में इसका अभाव रहा है, जिससे अपीलाधीन कार्यवाही दूषित एवं अपूर्ण होना प्रतीत

जिला कलक्टर
बालोतरा

होता है। ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण एवं अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से उक्त आलोच्य आदेश बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधीनरथ न्यायालय नायब तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2021 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार पचपदरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूखण्ड पर कब्जा के सम्बन्ध में अपीलांट की उपस्थिति में स्वयं मौका जांच करें तथा हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी से भिन्न अन्य भू–अभिलेख निरीक्षक के साथ टीम गठित कर से पैमाईश कराई जाकर रिपोर्ट ली जावें तथा अपीलांट के विरूद्ध जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 91 आर0एल0आर एक्ट पर अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें।

8. निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा